पंचम् विकास पत्रिका

विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 01 अंक : 05 मार्च 2021 परस्पर संपर्क हेतु

पुरुष वर्चस्व वाले कामों को संभाल रही है महिलाएं

राजमिस्त्री का प्रशिक्षण लेकर महिलाओं ने बनाई नई पहचान

रायसेन। समाज में जेण्डर आधारित कार्य बंटवारे की परंपरा बहुत मजबूती से स्थापित है। कई कामों पर सिर्फ पुरूषों का ही वर्चस्व है और आमतौर पर महिलाएं उन कामों को नहीं अपनाती है। उन्हें इसके लिए कोई कौशल विकास प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता है। इस दशा में समाज में महिलाओं और पुरूषों के कामों में बहुत अंतर है तथा कई काम ऐसे हैं, जो सिर्फ पुरूषों द्वारा किए जाते हैं और उसके बदले में पुरूष को ज्यादा मानदेय मिलता है। उदाहरण के लिए किसी भी निर्माण कार्य में राजमिस्त्री का काम पुरूष द्वारा ही किया जाता है, जबकि महिलाओं के हिस्से में सिर्फ मजदूरी के कार्य ही आते है। जेण्डर आधारित कार्य बंटवारे की इस परंपरा को समर्थन द्वारा बदलने का प्रयास किया गया। संस्था द्वारा मध्यप्रदेश के कई जिलों में महिलाओं को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण देकर उन्हें राजमि्स्त्री के रूप में कुशल और सक्षम बनाया गया।

मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में कई महिलाएं आज राजमिस्त्री का काम कर रही है। वे पुरूषों की बराबरी से यह काम करते हुए परिवार बेहतर आय प्राप्त कर रही है। जिले के ग्राम रतनपुर, बारला, रमसिया, बनगवां की कई महिलाएं राजमिस्त्री का काम कर रही है। इन महिलाओं ने दो साल पहले समर्थन से प्रशिक्षण लिया किया था। इसके बाद जिला पंचायत के माध्यम से उन्हें शौचालय निर्माण का काम मिला। पंचायतों द्वारा अधूरे शौचालयों को पूर्ण करने के साथ ही नए शौचालयों का निर्माण भी इन महिलाओं द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में भी महिला राज मिस्त्रियों को काम मिल रहा है। ग्राम रतनपुर की राजमिस्त्री सुशीलाबाई ने बताया कि उन्होंने कई शौचालयों का खुद निर्माण किया है। वह मानती है कि काम कोई भी हो, उसे महिलाएं कर सकती है। अभी तक राजमिस्त्री का काम पुरूष ही करते थे, हमने इस परंपरा को तोड़ा और अपने परिवार के भरण-पोषण में बराबरी से हाथ बंटा रही है। सुशीलाबाई के अलावा रूकमणीबाई कुशवाहा, पार्वतीबाई, ताराबाई, मल्लूबाई, रामोबाई, रानू राजोबाई आदि भी यह काम कर रही है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

सुशीला बाई ने मार्च 2021 में समर्थन के सिडबी कार्यक्रम के अंतर्गत महिला राजमिसत्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपने आसपास के गाँव कृ बनगंवाए बर्बटपुरए रामसियाए सेंडोराए सदालतपुरए पैमत में राजमिस्त्री का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने अन्य महिलाओं को भी इस काम के लिए प्रोत्साहित किया। इससे उनकी आय में दो से तीन गुना बढ़ोरती हुई। साथ ही क्षेत्र में उनकी नई पहचान बनीं। सुशीलाबाई कहती है कि पहले लोग कहते थे कि यह काम महिलाओं के बस का नहीं है। लेकिन मैने लोगों की इस धारणा को तोड़ा और यह साबित किया है कि कोई भी काम असंभव नहीं है।

खास बातें

- राजमिस्त्री का कार्य मुख्य रूप से पुरूषों द्वारा ही किया जाता था तथा निर्माण कार्य के दौरान महिलाओं को मजदूरी का काम मिलता था।
- समर्थन द्वारा रायसेन सहित मध्यप्रदेश के कई जिलों में महिलाओं को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया।
- प्रशिक्षण के अंतर्गत ईंट जुड़ाई का अभ्यास करवाया गया। इससे महिलाएं शौचालय एवं भवन निर्माण के कार्य में राजमिस्त्री की भूमिका के लिए तैयार हुई।
- महिलाओं ने शौचालय एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों में राजमिस्त्री के रूप में कार्य किया।
- इससे जेण्डर आधारित कार्य बंटवारे की परंपरा टूटने लगी, वहीं महिलाओं को बेहतर आय हुई और उन्हें नई पहचान मिली।

मनरेगा अन्तर्गत वृक्षारोपण से किसानों को बेहतर आमदनी का आशा

राहूल निगम द्वारा

पन्ना। पिछले एक वर्ष से कोविड-19 के कारण पूरे देश और प्रदेश के साथ ही पन्ना जिले के लोग भी परेशान हो रहे हैं। यह सभी जानते हैं कि पन्ना जिले के ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी आबादी पलायन से होने वाली आय पर निर्भर है। कोविड के कारण लगे लॉकडाउन एवं महामारी के डर ने ग्रामीण अंचल में रोजगार का बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। इस विषम परिस्थिति में गांव में ही काम उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लोगों को राहत मिल सकी। लाकडाउन और उसके तुरन्त बाद के महीनों में आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ जिला प्रशासन द्वारा खेत, तालाब, कुएं, मेड़ बंधान जैसे तमाम कार्यों के साथ ही उन्नत किस्म के पौधों का रोपण भी किया गया। जून-जुलाई माह में किए गए पौधारोपण में आम, आंवला, अमरूद, नींबू जैसे फलदार पौधे शामिल किए गए थे। महज 9 से 10 माह पहले लगाए गए इन पौधों में से आम के अधिकांश पौधों में मौर (फूल) आने लगे हैं, जिसे देखकर किसान बहुत खुश है। इसके साथ ही अब वे उन्नत किस्म के पौधों को लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। यहां सक्रिय संस्था समर्थन द्वारा लोगों को योजना से जोड़ने की दिशा में सहयोग करते हुए किसानों को उद्यानिकी फसलों के लिए प्रेरित किया गया था। ग्राम कुडार की किसान मुलिया सरदार ने जुलाई माह में आम एवं आंवला के 100 पौधे लगाए थे, जिनमें से 80 पौधे पूरी तरह सही एवं सुरक्षित हैं। सरदारसिंह ने संस्था के साथियों को दिखाया कि उनके खेत में लगे कुछ पौधों में फलन भी हुआ है। ग्राम कुडार के ही महाराजसिंह ने भी 100 पौधों का रोपण किया। ग्राम बिलखुरा के किसान जगराम ने बताया कि उन्होंने आम के 100 पौधे लगाए थे, जिनमें से 96 पौधे जीवित है।

इस तरह पन्ना जिले के कुडार में उन्नत किस्म के पौधोरोपण के परिणाम बहुत ही उत्साहजनक है। इससे यह बात भी सामने आती है कि कृषि एवं पौधारोपण के मामले में नई तकनीक और नई प्रक्रियाओं को अपनाने से बेहतर उपज प्राप्त की जा सकती है।

बस्तर जिले का अनूठा माईक स्कूल

भाटपाल पंचायत बनी शिक्षा की मिसाल, कोरोना काल में घर बैठे लाउडस्पीकर से पढ़ाई कर रहे बच्चे

बस्तर। बस्तर जिले के एक छोटे सी पंचायत ने देश भर में कोरोना के संकटकाल में एक मिसाल कायम किया है, जहां लाउडस्पीकर से बच्चे अपने घरों में बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रदेश ही नहीं देश का पहली ऐसा पंचायत है जहां लाउडस्पीकर से बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारें लाख जतन कर रही हैं। पर, बस्तर के वे इलाके जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंच सकी है, वहां के लिए यह एक नजीर है। दरअसल, कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया था। इसी के तहत बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद हैं। हालांकि, लॉकडाउन अब समाप्त हो चुका है, किन्तु स्कूलों को अब भी बंद रखा गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई में काफी रुकावटें आ रही हैं। जिसको देखते हुए बस्तर के भाटपाल पंचायत के सरपंच और पंचायत के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की मदद से एक अनोखी पहल की। सरपंच ने पंचायत के सभी 8 मोहल्लों में लाउडस्पीकर लगाकर बच्चों की पढ़ाई शुरू करा दी। इसका असर यह हुआ कि अब बच्चे लाउडस्पीकर की आवाज सुनते ही घरों के बाहर निकलकर अपने पढ़ने की जगह पर पहुंच जाते हैं। **(शेष पृष्ठ 7 पर)**

जानकारी

कैसे मजबूत होगी ग्रामसभा?

ग्रामसभा स्वशासन का महत्वपूर्ण आधार है। इससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है, वहीं गांव के विकास के फैसलों में ग्रामवासियों की भागीदारी होती है। किन्तु यह सवाल सामने आता है कि आखिर ग्रामसभा मजबूत कैसे होगी? सफल ग्रामसभा के लिए यह जरूरी है कि उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो। लेकिन सिर्फ लोगों की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां अपने मुद्दे रखने, उन पर चर्चा करने और फैसला लेने में भी सहभागिता जरूरी है। इस बार इस कॉलम में ग्रामसभा के इन्हीं पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं।

पंचायत राज अधिनियम में ग्रामसभा को सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक ग्रामसभा के सदस्य माने गए हैं। प्रत्यैक सदस्य को ग्रामसभा में अपने मुद्दे रखने, मुद्दों पर चर्चा करने, सवाल पूछने और फैसलों में भागीदारी करने का अधिकार है। अधिकारों के साथ-साथ ग्रामसभा की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है।

ग्राम सभा में भागीदारी का निम्नांकित सीढ़ियों द्वारा समझा जा सकता है:-

दूसरी सीढ़ी : एजेण्डा जानना

ग्राम सभा की बैठक से सात दिन पहले एजेण्डा जारी किया जाता है। एजेण्डा का मतलब वे मुद्दे, जिन पर ग्रामसभा में चर्चा की जाएगी और फैसला लिया जाएगा। ग्रामसभा में कोई भी व्यक्ति अपने मुद्दों को एजेण्डा में शामिल करवा सकते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन भी ग्रामसभा को अपने मुद्दे भेजते हैं, जिन्हें एजेण्डा में शामिल किया जाता है। पंचायत राज कानून में ग्रामसभा को लोगों की अपनी सभा माना गया है, लोगों को ग्रामसभा के एजेण्डा में अपने मुद्दे शामिल करवाने का अधिकार है। अत: ग्रामसभा में भागीदारी की दूसरी सीढ़ी ग्रामसभा का एजेण्डा जानना है। यह भी जानें कि राज्य सरकार, जिला व जनपद पंचायत से कौन-कौन से मुद्दे आए हैं।

तीसरी सीढ़ी : ग्रामसभा में उपस्थित होना

ग्राम सभा ग्रामवासियों की सभा है, इसलिए बगैर ग्रामवासियों के यह सभा नहीं हो सकती। अत: ग्रामसभा में सभी लोगों को उपस्थित होना आवश्यक है। ग्राम सभा में सदस्यों की जितनी अधिक उपस्थिति होगी उतनी ही अच्छी चर्चा होगी और सही निर्णय भी लिये जा सकेंगे। ग्रामसभा को गांव के विकास के महत्वपूर्ण फैसले लेने का कानूनी अधिकार है। यदि ग्रामसभा में लोगों की उपस्थिति कम रहती है तो लिये गए निर्णय व फैसलों की जानकारी कुछ ही लोगों तक ही सीमित रहेगी। सामान्यत: देखा गया है कि वंचित समुदाय विशेषकर महिलाओं की उपस्थिति न होने के कारण उनके मुद्दो व तर्को को निर्णय प्रक्रिया मे स्थान नहीं मिल पाता है। इस परिस्थिति मे लिये गए निर्णय वंचित वर्ग के लिए लाभप्रद नही होते। इसलिए ग्राम सभा में गांव के सभी तबकों के महिला-पुरूषों का शामिल होना जरूरी है।

चौथी सीढ़ी : सवाल पूछना

ग्राम सभा में उपस्थिति के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम वहां सवाल पूछना है। ग्राम सभा में हम ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम सरपंच, सचिव, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, राशन दुकान डीलर आदि सभी से उनके कार्यों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ग्राम सभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह इन कर्मचारियों को ग्राम सभा में उपस्थित रहने के लिये निर्देश दे सकते हैं।

खास बातें

- गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक ग्रामसभा के सदस्य माने गए हैं।
- प्रत्यैक सदस्य को ग्रामसभा में अपने मुद्दे रखने, मुद्दों पर चर्चा करने, सवाल पूछने और फैसलों में भागीदारी करने का अधिकार है।
- ग्राम सभा की बैठक से सात दिन पहले एजेण्डा जारी किया जाता है।
- ग्रामसभा में कोई भी व्यक्ति अपने मुद्दों को एजेण्डा में शामिल करवा सकते हैं।
- ग्राम सभा में लोग ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं।
- ग्राम सभा सदस्य सरपंच, सचिव, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, राशन दुकान डीलर आदि सभी से उनके कार्यों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं।
- ग्राम सभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह उक्त कर्मचारियों को ग्राम सभा में उपस्थित रहने के लिये निर्देश दे सकते हैं।
- ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही तथा लिए गए सभी निर्णय एक रजिस्टर में सचिव द्वारा लिखे जाते हैं। ग्राम सभा की समाप्ति पर सचिव की यह जिम्मेदारी है कि वह लिखी गई कार्यवाही और निर्णयों को पढ़कर सुनाए।

पांचवी सीढ़ी : समस्याएं या मुद्दे रखना

ग्राम सभा में सवाल पूछने के साथ ही वहां लोग अपनी समस्याएं व मुद्दे रख सकते हैं। यदि हमारे वार्ड, गांव या पंचायत से संबंधित कोई समस्या हो तो उन्हें भी हम ग्रांम सभा में रख सकते हैं। ग्राम सभा शुरू होते समय हम ग्राम सभा के अध्यक्ष को अपने मुद्दे या समस्या की जानकारी मौखिक या लिखित में दे सकते हैं। लोग अपने मुद्दों को ग्रामसभा का एजेण्डा जारी होने से पहले भी ग्राम पंचायत सचिव को लिखित में दे सकते हैं, जिन्हें वे एजेण्डा में शामिल करेंगे। मुद्दों का चयन करते समय उस मुद्दे से प्रभावित होने वाले समुदाय के सभी सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा करें ताकि वे ग्राम सभा में उपस्थित हों व उसे सार्वजनिक मुद्दे के रूप में ग्राम सभा में स्वीकार किया जावे।

छठी सीढ़ी : मुद्दों पर चर्चा करना

ग्राम सभा में मुद्दे रखने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम उन मुद्दों पर चर्चा करना है। अत: अपने मुद्दे के पक्ष में तर्क व जानकारियां ग्रामसभा में प्रस्तुत की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी मोहल्ले में पानी की समस्या है तो चर्चा के दौरान यह बताना चाहिए कि कितने परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं? उन्हें कितनी दूर से पानी लाना पड़ रहा है? इससे उनके जीवन क्या असर हो रहा है? महिलाओं, बालिकाओं तथा समाज के कमजोर तबकों पर क्या असर पड़ रहा है? आदि बातें रखी जा सकती है। बेहतर होगा यदि इस समस्या से प्रभावित सदस्य स्वयं अपने तर्क ग्राम सभा के समझ रखे। इसी तरह अन्य मुद्दे भी रखें जा सकते हैं।

सातवीं सीढ़ी : फैसलों में भागीदारी करना

मुद्दों पर चर्चा के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम होता है - फैसला लेना। फैसला किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों की मर्जी से न हो, बल्कि ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की भागीदारी और बहुमत के आधार पर होना चाहिये। सामान्यत: देखा गया है कि ग्राम सभा में वंचित समुदाय की कम उपस्थिति के कारण प्रभावी समुदाय के सदस्य अपने हितों मे निर्णय कर लेते है। वहीं कई ग्राम सभाओं मे बंचित वर्ग के संगठित प्रयास से कई अहत व कठोर निर्णय लिए गए जो प्रारम्भिक अवस्था में प्रभावी समुदाय को स्वीकार नही थे।

आठवी सीढ़ी : निर्णयों को पढ़कर सुनाना और उस पर दस्तखत करना

ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही तथा लिए गए सभी निर्णय एक रजिस्टर में सचिव द्वारा लिखे जाते हैं। ग्राम सभा की समाप्ति पर सचिव की यह जिम्मेदारी है कि वह लिखी गई कार्यवाही और निर्णयों को पढ़कर सुनाए। सभी सदस्य इसे ध्यान से सुनें तथा गौर करें कि ग्राम सभा द्वारा लिये गए सभी निर्णय जो बैठक में लिये गए हैं आ गये हैं और उन्हें ठीक उसी प्रकार लिखा गया है जिस तरह से फैसले लिये गए हैं। इसके उपरांत कार्यवाही रजिस्टर में अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए जायें। अधिकांश जगहो पर देखा गया है कि चर्चा के समय ही हस्ताक्षर करवा लिए जाते है और ग्राम सभा को पता ही नही चल पाता कि कार्यवाही पंजी मे क्या निर्णय लिखे गए।

ग्रामसभा सदस्य के रूप में प्रत्येक ग्रामवासियों को निम्नलिखित अधिकार हासिल है :

- ग्राम सभा का एजेन्डा प्राप्त करने का अधिकार।
- एजेण्डा में मुद्दा जुड़वाने का अधिकार।
- ग्राम सभा में रखे जाने वाले समस्त दस्तावेजों को किसी भी सदस्य द्वारा देखने का अधिकार।
- ग्रामसभा सदस्य ग्राम पंचायत के कोई भी दस्तावेज देखने के लिये मांग कर सकता है।
- ग्राम सभा में अपनी बात रखने का अधिकार।
- स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रखने का अधिकार (निर्णय के लिये कोई भी दबाव नहीं बना सकता।)
- ग्राम सभा उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने का अधिकार।

बदलाव के लिए गतिविधियां

बदलाव दीदियों का ब्लाक स्तरीय संवाद

प्रवेश वर्मा द्वारा

राजपुर। जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कई महिलाएं गांव के विकास में सकारात्मक नेतृत्व निभा रही है। क्षेत्र में संचालित सचेत परियोजना के अंतर्गत जुड़ी इन सक्रिय महिलाओं को सचेत दीदी के नाम से जाना जाता है। सचेत दीदियां अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और स्वशासन के मुद्दे पर काम कर रही है। स्वशासन के संदर्भ में समर्थन द्वारा सचेत दीदियों को विभिन्न प्रशिक्षण दिए गए थे।

फरवरी माह में राजपुर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सक्रिय सचेत दीदियों के ब्लाक स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया। इसमें राजपुर, पलसूद एवं जुलवानियां संकुल से जुड़ी ग्राम पंचायतों की सचेत दीदियों ने भागीदारी की। इस अवसर पर सभी ने अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों की समस्याओं के बारे बताया तथा उसके उपायों पर चर्चा की गई। ज्यादातर सचेत दीदियों का कहना था कि आने वाले कुछ वर्षों में गर्मी का मौसम शुरू होगा और हमें पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें अभी से पेयजल के उपाय करने होंगे। चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि वे अपनी-अपनी ग्राम पंचायत में सरपंच एवं सचिव से इस समस्या पर बात करेंगी और ग्रामसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा करेगी, ताकि समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकें।

ब्लाक स्तरीय संवाद के दौरान समर्थन के श्री पंकज पांडे ने सचेत दीदियों की नेटवर्किंग पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राजपुर जनपद क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सचेत दीदियां गांव के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा रही है। यदि जनपद क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों की सचेत दीदियां एक नेटवर्क के रूप में एकजुट हो तो वे अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर सकती हैं और गांव के विकास के लिए एक—दूसरे के अनुभवों से सीख हासिल कर सकती है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा पोर्टल के बारे में बताया गया। साथ ही ग्राम पंचायत में बेहतर काम करने वाली सचेत दीदियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।

कैसे जानें सरकारी योजनाओं की स्थिति ?

जन कल्याणकारी योजनाओं के अध्ययन प्रतिवेदन पर एक दिवसीय कार्यशाला

बड़वानी। जिले में समर्थन द्वारा शासकीय योजनाओं के अध्ययन प्रतिवेदन के विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पिछले दिनों किया गया। इसमें मुख्य प्रशिक्षक के रूप में श्री राहूल पंडिल ने बताया कि मध्यप्रदेश के 5 जिलों बड़वानी, इन्दौर, पन्ना, छतरपुर एवं मंडला के 7 विकासखंडों की 120 ग्राम पंचायतों के 214 गांवों में संस्था द्वारा कोविड-19 के दौरान शासकीय जन कल्याणकारी योजनाओं की परिपूर्णता की स्थिति के बारे में जानने के लिए यह अध्ययन किया गया। जिसके आधार पर शासन से चर्चा कर एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी, ताकि पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ सहजता से पहुंच सके। अध्ययन में जनधन योजना, राशन दुकान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पोषण आहार एवं मध्यान्ह भोजन आदि योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में बताया गया कि आधार व समग्र आईडी में यदि व्यक्ति के नाम में छोटी सी स्पैलिंग की भी गलती हो तो यह गलती उसे बहुत-सी योजनाओं से वंचित कर देती है। इन तरह की त्रुटियों को कैम्प के माध्यम से सुधारा जा सकता है। कार्यशाला की विशेषता यह थीं कि इसमें जमीनी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं एवं चुनौतियां साझा की और उन पर चर्चा की गई। इस दौरान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ब्लाक समन्वयक, एडिशनल प्रोग्राम आफिसर श्रीमती अनिता मंण्डलोई, सहायक प्रशिक्षक एश्वर्या शर्मा उपस्थित थे।

जल जीवन मिशन में पंचायतों की भूमिका पर हितभागी परामर्श

विश्व जल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आनलाईन कार्यशाला हुई संपन्न

रायपुर। पंचायतों की भूमिका को मजबूत करने के लिये विश्व जल दिवस के अवसर पर पानी प्रबंधन में पंचायत की मौजूदा स्थिति, लर्निंग्स, चुनौतियां एवं अवसरों पर हितभागी परामर्श जल जीवन मिशन, पंचायत विभाग एवं वाटर एड के सहयोग से समर्थन संस्था के तत्वाधान में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।

इस परामर्श में राज्य योजना आयोग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल जीवन मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ वॉश फोरम, वॉश एलायंस, स्वयं सेवी संस्थान एवं समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जल जीवन मिशन के डायरेक्टर एस प्रकाश ने कहा कि इस मिशन के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है जिसे ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही पूर्ण किया जा सकता है। इस मिशन में लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है जिससे कार्यों में स्थायित्व एवं निरंतरता बनी रहे। जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी एवं उनके

माध्यम से कार्ययोजना निर्माण, जागरूकता एवं प्रबंधन आदि कार्य किए जा सकेंगे। इस मिशन के द्वारा पुराने जल स्त्रोतों का जल परीक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा। ग्राम पंचायत सिवनी एवं केकतीटोला के सरपंच द्वारा भी जल जीवन मिशन के कार्यों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित कार्ययोजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों से परिणाम एवं गंदे पानी के प्रबंधन पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव श्री एस के मिश्रा के कहा कि जल जीवन मिशन के साथ अन्य योजनाओं का अभिसरण करना बहुत आवश्यक होगा। राज्य वित्त आयोग एवं जिला स्तरीय जल समितियों की भूमिका भी इस योजना में बहुत महत्वपूर्ण होगी। 15 वां वित्त आयोग की राशि से भी जल जीवन मिशन के कार्यों में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि राज्य शासन के नरवा **(शेष पृष्ठ 7 पर)**

कैसे मिलेगा योजनाओं का लाभ ?

आनलाईन पोर्टल के जरिये योजनाओं तक पहुंच की पहल

वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा

पन्ना। सरकार द्वारा समाज के जरूरतमंद तबकों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है, जिनमें आवास, चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं प्रमुख है। किन्तु यह देखा गया है कि जानकारी के अभाव में कई जरूरतमंद एवं पात्र लोग योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं। हालांकि सरकार द्वारा आनलाईन पोर्टल के माध्यम से योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने का प्रयास किया गया है। किन्तु आनलाईन पोर्टल की प्रक्रिया से भी ज्यादातर लोग परिचित नहीं है। इस दशा में समर्थन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आनलाईन पोर्टल की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाया गया है। इन प्रशिक्षित युवाओं द्वारा अपने गांव के जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया।

पन्ना जिले की ग्राम पंचायत तारा व बिलखुरा में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसान सम्माननिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा के पोर्टल की जानकारी ग्रामवासियों को दी गई। इस हेतु आयोजित कार्यशाला में 78 युवाओं ने भाग लिया। ग्राम पंचायत सकरिया के चौपरा में ग्रामवासियो को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, किसान सम्माननिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना एवं अन्य योजनाओं के पोर्टल की जानकारी दी गई। साथ ही आयुष्मान कार्ड के पंजीयन की आवश्यकता व उपयोगिता के बारे में बताया गया। इस दौरान किसान सम्माननिधि योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज़ लिए एवं 09 लोगों की किसान सम्माननिधि का स्टेटस चेक किया गया। इस कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्र के 30 युवाओं ने भागीदारी की।

पन्ना जिले की ही ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर की नईबस्ती , ग्राम पंचायत इटवाकला एवं ग्राम पंचायत मकरंदगंज के नरेन्द्रपुरा में आयुष्मान कार्ड पंजीयन की आवश्यकता व उपयोगिता की जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान 03 लोगों के किसान सम्माननिधि एवं 01 महिला की कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज संग्रह किये गए तथा 12 लोगों की किसान सम्माननिधि का स्टेटस चेक किया गया। कार्यक्रम में 142 लोगों ने भाग लिया।

ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर के ग्राम विक्रमपुर निवासी पतुआ गोंड व वेवा श्याम बाई के दस्तावेजों में उम्र सुधार करवाने के उपरांत सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु आवेदन करवाने करने की प्रक्रिया में सहयोग किया गया था। जिससे उनकी पेंशन स्वीकृत हो पाई। ग्राम पंचायत रहुनियाँ के लोगों को योजनाओं के आनलाईन पोर्टल की जानकारी दी गई। इस दौरान आयोजित कार्यशाला में 36 युवा शामिल हुए। ग्राम पंचायत लीलाखाड़ी के ग्राम बिलखेडा में 29 लोगों के आयुष्मान कार्ड व 2 लोगों के पेनकार्ड के लिए आवेदन सूचना मित्र भारती मेवाड़ा द्वारा आनलाईन प्रस्तुत किए गए।

योजनाओं तक ग्रामवासियों की पहुंच बनाने हेतु पिछले दिनों ग्राम पंचायत कृष्णाकल्याणपुर में एक दिवसीय जागरूकता कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि, नरेगा व महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मातृ वंदन योजना की जानकारी दी गई तथा समग्र आईडी, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास एवं प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि पोर्टल के बारे में विस्तार से बताया गया। इसी तरह पन्ना जिले की ही ग्राम पंचायत इटवाकला के गोल्डन हायर सेकंडरी स्कूल में युवाओं को विभिन्न योजनाओं और समग्र पोर्टल की जानकारी दी गईं। इस हेतु आयोजत कार्यशाला में स्कूल के स्टाफ ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई।

बदलाव की वाहक महिलाएं

(महिला दिवस के विशेष संदर्भ में)

सत्ता के विकेंद्रीकरण में महिला शक्ति

जावेद अनीस

महिला दिवस के नाम पर हम महिला सशक्तिकरण की चाहें जितनी भी बातें कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी हमारा समाज महिलाओं को बराबरी का हक़ देने तैयार नहीं है। आजादी के बाद महिलाओं की समानता और उनकी सभी स्तरों पर भागीदारी पर जोर दिया गया है लेकिन इस दिशा में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत को कुल 153 देशों की सूची में 112 वें स्थान पर रखा गया है जोकि पिछले वर्ष के सूचकांक के मुकाबले चार पायदान नीचे है। यह आंकड़ा इस बात की तरफ इंगित करता है कि राजनीति से लेकर घर तक सभी मंचों पर महिलाओं को समान भागीदारी उपलब्ध कराने में हम नाकाम रहे हैं। हमारे देश के राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है. तमाम प्रयासों और दबाओं के बावजूद संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो सका है। वर्ष 2010 में भारतीय संसद के उच्च सदन द्वारा सभी संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित संबंधी संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था। लेकिन इस विधेयक का संसद और राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा पारित होना अभी भी बाकी है।

सत्ता के विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास के बीच गहरा संबंध है। समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में यह एहसास लाना है कि एक नागरिक के तौर पर उनके जेंडर, जाति, धर्म या निवास स्थान के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना नीति निर्धारण की प्रक्रिया में सभी की भागेदारी महत्वपूर्ण है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में पंचायत पहली सीढ़ी है, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् में एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इससे देश भर में लाखों महिलाएं नेतृत्व के लिए आगे आयीं और इसी के चलते स्थानीय स्वशासन में कम से कम एक तिहाई महिलाओं का स्थान सुनिश्चित हो सका है। मध्यप्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा जैसे कई राज्यों में तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गयी हैं। इस सम्बन्ध में पिछले साल लोकसभा केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि 'केंद्र सरकार पूरे देश की पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण करने पर विचार कर रही है।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत को कुल 153 देशों की सूची में 112 वें स्थान पर रखा गया है जोकि पिछले वर्ष के सूचकांक के मुकाबले चार पायदान नीचे है। यह आंकड़ा इस बात की तरफ इंगित करता है कि राजनीति से लेकर घर तक सभी मंचों पर महिलाओं को समान भागीदारी उपलब्ध कराने में हम नाकाम रहे हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास के बीच गहरा संबंध है। समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में यह एहसास लाना है कि एक नागरिक के तौर पर उनके जेंडर, जाति, धर्म या निवास स्थान के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना नीति निर्धारण की प्रक्रिया में सभी की भागेदारी महत्वपूर्ण है।

73 वें संवैधानिक संशोधन के एक दशक पूरे होने को हैं। यह संशोधन सत्ता के विकेंद्रीकरण विशेषकर महिलाओं के सशक्त भागीदारी की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। पंचायतों में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण से उन्हें गांव के विकास में समान भागीदारी का अवसर मिला है। इसी के चलते आज स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व के मामले में भारत पूरी दुनिया में शीर्ष पर है। वर्तमान में देश की पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कुल संख्या 13 लाख 67 हजार 594 है। देश भर की पंचायतों के कुल जनप्रतिनिधियों में से करीब 46 फीसदी महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित है जिसकी वजह से प्रदेश के स्थानीय निकायों में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित हो गयी है। यहां के जमीनी अनुभव बताते हैं कि महिलाओं ने अपनी भागीदारी और इरादों से पंचायतों में न सिर्फ विकास के काम किये हैं बल्कि विकास की इस प्रक्रिया में उन्होंने गरीब-वंचित समुदायों को जोड़ने का काम भी किया है। इस दौरान उनका सशक्तिकरण तो हुआ ही है, साथ ही उन्होंने सदियों से चले आ रहे भ्रम को भी तोड़ा है कि महिलायें पुरुषों के मुकाबले कमतर होती हैं और वे पुरुषों द्वारा किये जाने वाले कामों को नहीं कर सकती हैं। अनुभव बताते हैं कि पंचायत स्तर पर निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि वित्तीय और राजनीतिक विकेन्द्रिकरण पर जोर देती हैं साथ ही अपने गांव व समुदाय के आधारगत जरूरतों को पूरा करने में काफी सक्रियता दिखाती है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत पिपरिया की आदिवासी महिला सरपंच श्रीमती ओमवती कोल के हिम्मत की दास्तान अपने आप में एक मिसाल है। ओमवती कोल निरक्षर हैं। वंचित समुदाय की होने के कारण वह शुरू से ही गांव के बाहुबलियों के निशाने पर थीं। उनपर तरह तरह से दबाव डालने, डराने, धमकाने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने दबंगों का रबर स्टाम्प बनने से साफ इनकार कर दिया और अपने बल पर ग्राम में स्वच्छता को लेकर उल्लेखनीय काम करते हुए गांव को न केवल खुले में शौच से मुक्त करवाने का प्रयास किया बल्कि उन्हें शासन से सहायता प्राप्त करके सस्ते और टिकाऊ शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने शासन द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता एवं तकनीकी जानकारी की मदद से गांव की सड़कें बनवायीं। उनके अथक प्रयास का परिणाम है कि शासन द्वारा उनके गावं को निर्मल ग्राम घोषित किया जा चुका है। इसी प्रकार से सतना जिले की उपसरपंच बैसनिया दीदी बताती हैं कि शुरुआत में जब वह चुनाव जीत कर आयीं थी तब ज्यादा कुछ नही जानती थीं, पंचायत की बैठकों में पीछे बैठी रहती थीं, बाद में एक स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़ने के बाद उन्हें अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी हुई जिसके बाद वे अपनी भूमिका को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाने में सक्षम हो गयीं।

लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच और सामाजिक ढांचे महिलाओं की भागीदारी में बाधक बने हुये हैं। पंचायत स्तर पर निर्वाचित महिलाओं को जेण्डर आधारित भेदभाव, जातिगत गतिशीलता, निम्न साक्षरता दर जैसी पारम्परिक और दमनात्मक सामाजिक संरचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। शोधकर्ता सोलेदाद आर्टिज ने भारत के मध्यप्रदेश में महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी को लेकर किये गये अपने शोध में पाया है कि महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी में सबसे बड़ी रूकावट महिलाओं के घर के बाहर निकलने और उनके सामुदायिक संस्थाओं के साथ जुड़ाव पर नियंत्रण का होना है। निश्चित रूप से 73 वां संवैधानिक संशोधन महिलाओं के सशक्त भागीदारी की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। तमाम चुनौतियों के बावजूद अभी तक प्राप्त उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी भी महिलाओं के राजनीती में भागीदारी का सफर बहुत लम्बा है। इस दिशा में और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है साथ ही यह भी समझाना होगा कि यह एक प्रक्रिया है जो चरणों में ही पूरा होगा। अगर महिलाएं जीतकर राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेती हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वे अलग तरह की राजनीति करेंगीं या इससे एक ही झटके में राजनीती में में सुधार हो जायेगा। यह एक अलग प्रक्रिया है जिसके लिये अलग तरह से प्रयास करने की जरूरत होगी।

100 महिलाओं ने 18 महीनों में काट दिया 107 मीटर लंबा पहाड़, पानी के साथ आई खुशहाली

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में करीब 100 महिलाओं ने मिलकर 18 महीने में 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर अपने गांव में पानी आने का रास्ता बना दिया। अब गांव के सूख चुके कुओं और हैंडपंप में पानी आने लगा है और मृतप्राय हो गई बछेरी नदी भी फिर से बहने लगी है।

छतरपुर। जिले के बड़ामलहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भेल्दा के एक छोटे से गांव अंगरोठा में महिलाओं ने ऐसा काम किया है जो एक मिसाल बन गया है। पानी के लिए पंचायत की 100 से ज्यादा महिलाओं ने मिलकर 107 मीटर लंबे पहाड़ को ही काट दिया। अब पूरे गांव को भरपूर पानी तो मिल ही रहा है, लोगों की खुशहाली भी बढ़ रही है।

महिलाओं ने लगभग 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर एक ऐसा रास्ता बनाया है जिससे उनके गांव के तालाब में अब पानी भरने लगा है। सूखे हुए कुएं में पानी आ गया है। हैंडपंप जो सूख गए थे, अब पानी देने लगे हैं। इसके अलावा 11 तालाबों का पुनरुद्धार हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तालाब के भरने से सूखी हुई बछेड़ी नदी में एक बार फिर से पानी बहने की उम्मीद बंध गई है। बछेड़ी नदी का उद्गम स्थल अंगरोठा है। बछेड़ी में केवल बरसात में ही पानी आता था, जल्द ही वह पूरे साल बहने लगेगी। बुंदेलखंड पैकेज से इस तालाब का निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन इसमें पर्याप्त पानी नहीं भर रहा था। वन विभाग के सहयोग से 107 मीटर के पहाड़ को काटा गया और अब इस 40 एकड़ के तालाब में लगभग 70 एकड़ पानी भर रहा है। 100 से ज्यादा महिलाओं ने श्रमदान कर करीब 18 महीने में जल संवर्धन के रास्ते में आ रहे पहाड़ के बीच से पानी आने का रास्ता तैयार कर दिया। पहले पहाड़ों के जरिए बरसात का पानी बहकर निकल जाता था। इस पानी को सहेज कर महिलाओं ने गांव की दशा और दिशा बदल कर रख दी है। जल सहेली बबीता राजपूत बताती हैं कि दूर-दूर से 3 किलोमीटर पैदल चलकर महिलाएं यहां पर आती थीं और श्रमदान करती थीं। महिलाओं ने इस पहाड़ को बचाने और इस पर पौधे लगाने का संकल्प भी लिया है।

खास बातें

- महिलाओं ने पहाड़ को काटकर बनाया गांव के तालाब में पानी आने का रास्ता
- अब गांव के सूख चुके कुओं और हैंडपंप में फिर से आने लगा पानी
- करीब 100 महिलाओं ने 18 महीने में काट दिया पहाड़
- पानी आने से गांव की खुशहाली बढ़ी, महिलाओं ने पहाड़ को बचाने का भी संकल्प लिया

गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए महिला सरपंच ने अपनाया अनोखा तरीका

सरपंच ने गांव को खुले में शौच से मुक्त करवाने के लिए अनोखा तरीका अपना। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने के लिए शौचालयों पर पेंटिंग और स्वच्छता के चित्र बनवाए, जिन्हें देखकर ग्रामीण शौचालयों का इस्तेमाल आसानी से करने लगे।

हरदा। जिले की धनवाड़ा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच लक्ष्मीबाई जाट ग्रामीण महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी है। स्वच्छता मिशन के तहत गांव में शौचालय बनाकर शत प्रतिशत ग्रामीणों को उसका उपयोग करने के लिए जाकरूक भी किया है। सरपंच ने गांव को ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित करवाने के लिए अनोखा तरीका अपना है। उन्होंने गांव में कम पढ़े लिखे ग्रामीणों को समझाने के लिए शौचालयों पर पेंटिंग और स्वच्छता के चित्र बनवाए, जिन्हें देखकर ग्रामीण शौचालयों का इस्तेमाल आसानी से करने लगे। सरपंच लक्ष्मीबाई जाट के प्रयासों के चलते आज गांव में शत प्रतिशत लोग शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत किए गए कार्यों की बदौलत लक्ष्मीबाई को फरवरी 2019 में स्वच्छ शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

हरदा जिले की धनवाड़ी ग्राम पंचायत की चर्चा आज पूरे प्रदेश में हैं। गांव की सरपंच लक्ष्मीबाई जाट ने गांव का मान पूरे प्रदेश में बढ़ाया है। लक्ष्मी के लिए गांव को खुले में शौच मुक्त बनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने गांव को ओडीएफ बनाने की ठान ली थी। आज गांव के हर घर में शौचालय हैं और गांव में कुल 365 शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायत की सहायता से हुआ है। गांव में बने शौचालयों को देखकर हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। गांव की दीवारों को सजाकर उन पर उन्होंने पेंटिंग बनावाई है। इसके अलावा गांव की सभी सड़कों के किनारे नालियां बनवाई गई है और कोई भी व्यक्ति सड़क पर कचरा नहीं फेंक सकता है।

सरपंच लक्ष्मीबाई खुद भी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन ठेठ ग्रामीण परिवेश की लक्ष्मी पंचायत के सारे काम खुद करती है। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में काफी दिक्कतें आई, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से सब कुछ संभव हो गया। गांव की महिलाओं के अलावा गांव के पुरुष भी लक्ष्मी की तारीफ करते नहीं थकते।

बंदिशों को तोड़ कायम की आत्मनिर्भरता की मिसाल

गुना। आदिवासी सहरिया समाज की एक महिला ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। जिस समाज में महिला का घर से बाहर निकलकर व्यापार-व्यवसाय करना मुश्किल हो, वहां उन्होंने खुद को शिक्षित कर अपना चप्पल बनाने का कारखाना न केवल स्थापित किया बल्कि वे तीन और महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। वे एक महीने में आठ से दस हजार चप्पलें तैयार करती हैं। हाट-बाजार के साथ ही शहर की दुकानों पर खुद अपनी बनाई चप्पलों की मार्केटिंग करती हैं।

समाज की बंदिशों को तोड़ने में मिली कामयाबी

यह कहानी है मध्यप्रदेश के गुना जिले के सामरसिंगा गांव की 40 वर्षीय सीमा सहरिया की। 22 साल पहले जब वे इंदौर के महू से शादी होकर आई तो पढ़ने की इच्छा जाहिर की। हायर सेकंडरी की परीक्षा पास करने के बाद घर संभालने में लग गई, लेकिन परिवार के माली हालात और बच्चों के भविष्य से चिंतित सीमा कुछ अलग हटकर करना चाहती थीं, लेकिन समाज की बंदिशों को तोड़ना बहुत मुश्किल था। आखिरकार वह पति सिमरथ सिंह को समझाने में सफल हुई। उन्होंने पूरा साथ दिया। जल्दी ही सीमा ने अपना स्वसहायता समूह तैयार कर लिया।

बैंक से ऋण लेकर चप्पल बनाने का कारखाना शुरू किया

आठ माह पहले आजीविका मिशन के अधिकारियों की सलाह पर सीमा ने गांव में ही चप्पल बनाने का काम शुरू करने का निर्णय लिया। बैंक से एक लाख रुपये का ऋण लिया। आगरा जाकर चप्पल बनाने का सात दिन का प्रशिक्षण लिया। ऋण की राशि से चप्पल बनाने की एक मशीन और कच्चा माल खरीदा। घर आकर एक कमरे में अपने काम की शुरुआत कर दी।

चल पड़ा कारोबार, तीन और महिलाओं को भी दिया रोजगार, हर महीने 60 से 70 हजार रुपये की आय

इस काम में तीन अन्य महिलाओं को भी जोड़ा। उन्हें चप्पलें तैयार करना सिखाया और स्वयं ने गांव के आसपास के हाट बाजारों की दुकानों पर अपनी बनाई चप्पलें पहुंचानी शुरू की। साथ ही कच्चा माल बुलवाने समेत मार्केटिंग का जिम्मा संभाला। काम चल पड़ा है। वे 60 से 70 हजार रुपये की आय हर महीने अर्जित कर रही हैं।

कुरीतियों की जंजीर तोड़ अफसर बनने जुटीं ये बेटियां

गुना। जिले में पहली बार सहरिया आदिवासी परिवार की बेटियां नौकरी की तैयारी कर रही हैं। इन बेटियों की पढ़ाई से लेकर फिजीकल की तैयारी जिले का एक आइएएस अफसर करा रहा है। उधर, कलेक्टर की इस पहल के बाद अब जिले की कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी इन बेटियों को अफसर बनाने को लेकर सहयोग प्रदान करने की बात कर रही हैं।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बीड़ा उठाया कि पढ़ी लिखी सहरिया आदिवासी बेटियों को वह निशुल्क कोचिंग दिलाकर सरकारी नौकरी की तैयारी कराएंगे। उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी को प्रशिक्षण संस्थान कुसमौदा में 30 सहरिया छात्राओं की रहने, खाना, और पढ़ाई की निशुल्क व्यवस्था कराई। आज ये बेटियां सुबह होते ही जूते ट्रैक

सूट पहनकर सरपट मैदान में दौड़ती नजर आती है, तो उतने ही चाव से वह विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा सरकारी नौकरी पाने को लेकर कोचिंग की कक्षा में पढ़ाई भी करती है।

मुझे नौकरी मिली तो समाज की कुरीति और अंधविश्वास होगा दूर

बमोरी तहसील के नौनेरा खुर्द गांव की सुनीता सहरिया इन दिनों एमए की पढ़ाई कर रही है। उनके पिता राम सिंह मजदूरी कर घर चलाते है। सुनीता का कहना है कि उनके समाज में बेटियों को पढ़ाकर नौकरी नहीं कराते है, उनकी इच्छा है कि वह पुलिस में भर्ती होकर समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करेंगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार की बेटी ने कहा कि कलेक्टर ने उड़ान योजना के तहत नि:शुल्क कोचिंग के साथ-साथ रहने के अलावा फिजीकल ट्रेनिंग की विशेष व्यवस्था की है। इससे उनके जैसी कई बेटियां आगे जाकर सरकारी नौकरी हासिल करेंगी।

शिक्षक बनने के बाद समाज में जलाएंगी अलख

भिड़रा गांव की रूबी सहरिया भी सरकारी नौकरी के लिए नि:शुल्क कोचिंग ले रही है। बीएससी के बाद बीएड की डिग्री हासिल करने वाली रूबी के पिता सुंदरलाल सहरिया भी मजदूरी करते है। रूबी का सपना है कि वह सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के बाद सहरिया परिवारों में व्याप्त अंधविश्वास को तो दूर करेंगी। उधर,गांव सहित बमोरी के किसी भी परिवार के बच्चे को वह अशिक्षित नहीं रहनें देंगी। 30 सहरिया आदिवासी बेटियों को सरकारी नौकरी के लिए नि:शुल्क रहने,खाने के साथ-साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इन बेटियों को विशेष कोचिंग दिलाकर सरकारी नौकरी मिले। साथ ही फिजीकल ट्रेनिंग पुलिस अधीक्षक की निगरानी में कराई जा रही है। इन बेटियों का सपना था कि वह अफसर बनेंगी, जिसको साकार करने में शासन और जिला प्रशासन पूरे मनोयोग से जुटा हुआ है।

- **कुमार पुरुषोत्तम,** कलेक्टर गुना

अन्य राज्यों से

इस ग्राम पंचायत में सिर्फ महिलाएं

कोल्महापुर (महाराष्ट्र)। यहां की बबनाल ग्राम पंचायत महिला शक्ति की एक मिसाल है। यह शायद कोल्हापुर जिले की ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र एकमात्र ऐसी पंचायत है जिसे पूरी तरह से महिलाएं चलाती हैं। इनका एकमात्र सपना अपने गांव को सुव्यवस्थित रखना है। वह गांव के लोगों को साफ और सुरक्षित पानी मुहैया कराना चाहती हैं।

इनमें से 32 साल की त्रिशला नीडगुंडे की कहती हैं, 'सबकुछ ठीक करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अपनी 10 सहायकों की तरह त्रिशला केंद्र और राज्य की ज्यादा से ज्यादा योजनाएं अपने गांव में लाना चाहती हैं। वे साबित करना चाहती हैं कि सिर्फ महिला सदस्य वाली यह ग्राम पंचायत उस पंचायत से काफी बेहतर है जिसमें महिलाएं-पुरुष शामिल होते हैं। बबनाल पंचायत शायद जिले की ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की इकलौती पंचायत है जिसे पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। पिछले साल सितंबर में कृष्णा नदी के किनारे स्थित चार हजार की आबादी वाले इस गांव ने अपने यहां राजनीति को दरकिनार कर यह फैसला किया। इसी के चलते पंचायत चलाने के लिए महिलाओं को मौके दिए गए।

ग्राम पंचायत की सदस्य नीडगुंडे ने कहा, 'हम नए हैं, सीख रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, हम बहुत जल्दी सीख रहे हैं। आप अगले कुछ महीनों में बदलाव देखेंगे। हमने बबनाल को हिवरे बाजार बनाने की योजना बनाई है।' दरअसल हिवरे बाजार अहमदनगर जिले के अंतर्गत आता है। यहां पोपटराव पवार की नेतृत्व में विकास का काफी काम हुआ है। पंचायत की एक सदस्य सोनाली शाहपुरे कहती हैं, 'अब हम यहां सेट हो गए हैं। हम रोज मीटिंग करते हैं और हर रोज कम से कम एक बार दो घंटे के लिए मिलते हैं।'

ग्राम पंचायत पीने और सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए पंचवर्षीय योजना लाने की तैयारी कर रही है। एक सदस्य पुष्पलता ऐनापुरे कहती हैं, 'हमने एक वॉट्सऐप ग्रुप बनाया है जहां हम नागरिक समस्याओं से जुड़ी जानकारी शेयर करते हैं। दोपहर में हम मिलते हैं और अलग-अलग मुद्दों को हल करने की बात करते हैं। मिसाल के लिए, नदी तक जाने के लिए कोई पूरी और पक्की सड़क नहीं थी। हमने फंड इकठ्ठा कर सड़क बनाई।'

इन महिलाओं का दावा है कि इनके परिवार के लोग इनका पूरा समर्थन करते हैं। नीडगुंडे कहती हैं, 'हम आजकल अपना अधिकतर समय पंचायत के कामों में लगाते हैं। आप मीटिंग्स के मिनट चेक कर सकते हैं। हर सदस्य ने कई मुद्दों पर काफी बोला है।' उल्लेखनीय है कि साल 1991 में महाराष्ट्र में पंचायत राज सिस्टम में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण था। इसके बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया। आरक्षण के बावजूद ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कार्यालय असल में पुरुष ही चला रहे हैं। लेकिन बबनाल में यह सिस्टम खत्म कर दिया गया है। गांव के एक सदस्य अनिल केरिपले कहते हैं, 'ऐसा हमारे गांव में भी होता था। ग्राम पंचायत की मीटिंग्स में महिला का पति या भाई या कोई और रिश्तेदार उसकी जगह बैठता था। अब इसे रोक दिया गया है।'

पंचायत समाचार

मध्यप्रदेश का मनरेगा का वार्षिक लक्ष्य बढ़ कर हुआ 33 करोड़ मानव दिवस

नईदिल्ली। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा अंतर्गत मध्यप्रदेश का वार्षिक लेबर बजट रिवाइज कर 33 करोड़ मानव दिवस का किया है। मनरेगा अंतर्गत अब प्रदेश में 33 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य हो गया है, जिसे 31 मार्च 2021 तक पूरा करना होगा।

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश में कोराना काल में मनरेगा श्रमिकों को हर हाथ को काम मुहैया कराकर इस लक्ष्य को माह सितम्बर 2020 में प्राप्त कर लिया था। जिसे भारत सरकार ने पुनरीक्षित कर 28 करोड़ 50 लाख मानव दिवस कर दिया था। प्रदेश द्वारा 28 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के लक्ष्य को 25 जनवरी 2021 तक हासिल कर लिया। मध्यप्रदेश में 18 फरवरी की स्थिति में 30 करोड़ 63 लाख मानव दिवस सृजित हो चुके है। भारत सरकार के ग्रामीण

विकास मंत्रालय के साथ गुरूवार को आयोजित हुयी वीडियो कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश में मनरेगा के पूर्व लक्ष्य 31 करोड़ मानव दिवस को को संशोधित करते हुए 33 करोड़ मानव दिवस कर दिया है। दो करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य बढ़ जाने से प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को जहाँ रोजगार के अतिरिक्त अवसर मुहैया होंगे वहीं मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को 380 करोड़ रूपये मजदूरी के रूप में अतिरिक्त प्राप्त होंगे।

प्रदेश में मनरेगा अन्तर्गत ग्रामीण जॉब-कार्डधारी परिवारों को हर हाथ को काम मुहैया कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 अंतर्गत 52 लाख 47 हजार परिवारों के 98 लाख 79 हजार श्रमिकों को 30 करोड़ 63 लाख मानव दिवस का रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। कोविड काल में मनरेगा अंतर्गत सृजित मानव दिवस योजना प्रारंभ से अब-तक के वर्षों में रिकार्ड सर्वाधिक है। मनरेगा के तहत कोविड काल, वर्ष 2020-21 में 6 लाख 45 हजार हितग्राही मूलक और सामुदायिक कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में 6 लाख 74 हजार कार्य प्रगतिरत हैं।

छत्तीसगढ़ मनरेगा में रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर

लक्ष्य से 107 प्रतिशत से अधिक काम हुआ। इस वर्ष सौलह करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत लक्ष्य के विरूद्ध रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध यहां अब तक 16 करोड़ छह लाख 84 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। मनरेगा लागू होने के बाद से इस वर्ष प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। मनरेगा श्रमिकों को अब तक इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 107 प्रतिशत से अधिक रोजगार मुहैया कराया जा चुका है, जबकि अभी वित्तीय वर्ष के पूरा होने में दो सप्ताह से अधिक का समय शेष है। प्रदेश भर में इस समय मनरेगा कार्य जोर-शोर से प्रगति पर हैं।

मनरेगा के क्रियान्वयन में 107 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्णता के साथ छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष पर है। पश्चिम बंगाल 105 प्रतिशत, असम और बिहार 104-104 प्रतिशत तथा ओड़िशा 103 प्रतिशत कार्य पूर्णता के साथ क्रमश: दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर है। वर्ष 2006-07 में मनरेगा की शुरूआत के बाद से इस साल प्रदेश में सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार दिया गया है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पिछले पांच वर्षों में क्रमश: दस करोड़ 14 लाख, आठ करोड़ 86 लाख, 11 करोड़ 99 लाख, 13 करोड़ 86 लाख और 13 करोड़ 62 लाख मानव दिवस रोजगार जरूरतमंदों को मुहैया कराया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल-2020 से फरवरी-2021 तक 2617 करोड़ 88 लाख रूपए का मजदूरी भुगतान मनरेगा श्रमिकों को किया गया है।

कोविड-19 के चलते लाक-डाउन के बावजूद मनरेगा के अंतर्गत तत्परता से शुरू हुए कार्यों से ग्रामीणों को बड़ी संख्या में सीधे रोजगार मिला। मनरेगा कार्यों ने विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यहां चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध रोजगार सृजन में बिलासपुर जिला सबसे आगे है। वहां लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 131 प्रतिशत से अधिक मानव दिवस काम दिया गया है। गोरेला-पेंड्रा-मरवाही में 125 प्रतिशत, कांकेर में 119 प्रतिशत, सरगुजा में 118 प्रतिशत, जांजगीर-चांपा में 117 प्रतिशत, दुर्ग और जशपुर में 115-115 प्रतिशत, रायगढ़ में 110 प्रतिशत, बालोद में 109 प्रतिशत, दंतेवाड़ा और कोरिया में 108-108 प्रतिशत, बेमेतरा, कोंडागांव और रायपुर में 107-107 प्रतिशत, महासमुंद में 106 प्रतिशत, बलौदाबाजार-भाटापारा और कोरबा में 105-105 प्रतिशत, कबीरधाम, बीजापुर और मुंगेली में 104-104 प्रतिशत, गरियाबंद में 102 प्रतिशत, धमतरी और सुकमा में 101-101 प्रतिशत, बलरामपुर-रामानुजगंज में 100 प्रतिशत, राजनांदगांव और बस्तर में 98-98 प्रतिशत, सूरजपुर में 96 प्रतिशत तथा नारायणपुर जिले में 95 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 2020-21 के बजट में साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस रोजगार की स्वीकृति दी गई थी। वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ही ग्रामीणों को व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और कोरोना महामारी के चलते लागू देशव्यापी लॉक-डाउन के दौर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर मनरेगा कार्य शुरू किए गए थे। इसके चलते प्रारंभिक तीन महीनों में ही इस लक्ष्य का 66 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया था। इसे देखते हुए राज्य शासन ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस से बढ़ाकर 15 करोड़ मानव दिवस करने का आग्रह किया था। मनरेगा में छत्तीसगढ़ के लगातार अच्छे कार्यों के आधार पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार के संशोधित लक्ष्य की मंजूरी दी है।

कोरोना और मनरेगा

मनरेगा में इस साल रिकॉर्ड 344 करोड़ मानव दिवस रोजगार

नईदिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी रोजगार योजना है जो कोरोना काल में लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ा संबल साबित हुई। उन्होंने बताया कि इस साल मनरेगा के तहत रिकॉर्ड 344 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है।

इस वर्ष कोविड-19 के संकटकाल में मनरेगा लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ा संबल साबित हुई है। इस वर्ष अबतक कुल 344 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन मनरेगा के माध्यम से किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।

यह विगत वर्ष की तुलना में 44 फीसदी ज्यादा है। भारत सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों से अब तक लगभग 72 लाख टिकाऊ और उपयोग संरचनाओं का भी निर्माण हुआ है।

केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने बताया कि इस वर्ष 1.61 करोड़ नए जॉब कार्ड जारी किए गए, जबकि पिछले वर्षों में इनकी संख्या लगभग 80 लाख थी। इससे जाहिर है कि बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में मनरेगा योजना प्रभावी और कारगर माध्यम रही है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत निर्मित कुल 4.29 करोड़ संपत्ति अब तक राज्य और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयास से जियो टैग की जा चुकी है। तोमर ने बताया कि मनरेगा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बढ़-चढ़ कर सहभागिता कर रही हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल सृजित मानव दिवस में से 52 प्रतिशत मानव दिवस महिलाओं द्वारा ही सृजित किए गए हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत निजी परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ-साथ जल संरक्षण और सिंचाई के कार्यों को प्राथमिकता दी है, जिससे कृषि के क्षेत्र में मदद मिल रही है।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी का शतप्रतिशत भुगतान हितग्राहियों के बैंक खातों में किया जा रहा है, इसके साथ ही कार्यों के सोशल ऑडिट पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में मनरेगा के लिए 1,11,500 करोड़ रुपये राज्यों को आवंटित किए गए हैं जो कि अब तक की सर्वाधिक धनराशि है। इसमें से 93 हजार करोड़ रुपये राज्यों को जारी भी कर दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 12 मंत्रालयों के समन्वय से 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 125 दिनों में 50.78 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। इस योजना के लिए भी 50 हजार करोड़ रुपये का व्यय का प्रावधान किया गया था।

पुरुष वर्चस्व... पृष्ठ एक का शेष

जिले में सौ से अधिक महिलाओं ने राजमिस्त्री का प्रशिक्षण लेकर कुशलता हासिल की है। सुशीला बाई ग्राम पंचायत बनगांवा के ग्राम रतनपुर की रहने वाली है। यह गाँव रायसेन जिले से लगभग 3 किमी की दूर स्थित है। सुशीला बाई के परिवार में 3 बेटियां एवं 1 बेटा है। उनमे पति खेती करते हैं। सुशीलाबाई दैनिक मजदूरी करके हर महीने ढाई से तीन हजार रूपए कमाती थीए जिससे उनके घर का खर्च चलता था।

बस्तर जिले का... पृष्ठ एक का शेष

वे अपने हाथों को सेनेटाइज कर सामाजिक दूरी बनाते हुए पढ़ाई करते हैं। बच्चों के अनुसार, कई महीनों से स्कूल बंद है और ऐसी स्थिति में पढ़ाई में मुश्किलें आनी लगी थीं। पर, अब उनको पढ़ाई के साथ-साथ अन्य बातों का ज्ञान भी हो रहा है, क्योंकि लाउडस्पीकर से न केवल विषय से जुड़ी बातें सिखाई जा रही हैं, बल्कि अन्य सामाजिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। इससे अंदरूनी इलाकों के बच्चों का मानसिक विकास भी हो रहा है। लाउडस्पीकर के चालू होते ही बच्चे तो उत्साहित होकर पढ़ने बैठते ही हैं, साथ ही बच्चों के अभिभावक भी उत्साह से लाउडस्पीकर की बातों को सुनते और सीखते हैं। अभिभावकों का कहना है कि उनके समय में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो उन्हें इंग्लिश का कुछ भी ज्ञान नहीं है। पर जब से पंचायत में लाउडस्पीकर से पढ़ाई शुरू हुई है, तब से उनको भी इंग्लिश के शब्दों का ज्ञान होने लगा है। साथ ही बच्चे तो पढ़ाई कर सीख ही रहे हैं पर इस नए तरीके से पढ़ाई के शुरू होने की वजह से अभिभावकों में भी खुशी है। कोरोना संकट काल के बीच बस्तर के भाटपाल पंचायत का यह प्रयोग अपने आप मे मिसाल साबित हो रहा है। जिला प्रशासन ने तो जिले के अन्य पंचायतों में भी इस तरीके से पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। प्रदेश सरकार भी कोरोना संकट को देखते हुए लाउडस्पीकर से पढ़ाई के इस नए तरीके को प्रदेश के अन्य जगहों पर भी लागू करने की तैयारी कर रही है।

जल जीवन मिशन... पृष्ठ 3 का शेष

प्रोजक्ट से भूजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी एवं प्राकृतिक नालों में छोटी छोटी संरचना के निर्माण से जल जीवन मिशन के कार्यों में मदद मिलेगी। क्षेत्र की विशेषता एवं जल की उपलब्धता के आधार पर योजना निर्माण करना होगा। स्वास्थ्य विभाग से डॉ. कमलेश जैन ने बताया जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है एवं अधिक गहराई से पानी लेने पर स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो रही है। फ्लोराईड नियंत्रण के लिए पानी की नियमित जांच करना बहुत जरूरी है एवं यह कार्य ग्राम पंचायतें कर सकती है। समर्थन संस्था के निदेशक डॉ. योगेश कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। राज्य में ग्राम पंचायतों के अलावा महिला स्वसहायता समूहों एवं मितानीनों का कैडर उपलब्ध है जो ग्राम स्तर पर जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रबंधन का कार्य कर सकती है। जल जीवन मिशन की चुनौतियों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति को सुझाव दे सकती है। कार्यक्रम मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़, यूनीसेफ, वाटर एड, प्रदान, समर्थ ट्रस्ट, साथी संस्था कोण्डागांव के वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन समर्थन के देवीदास निमजे द्वारा किया गया।

अनुकरणीय प्रयास

कहानी एक स्कूल की...

मन्दसौर जिले के इस सरकारी स्कूल ने बनाई अपनी पहचान

प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है यहां पढ़ाई की गुणवत्ता

मन्दसौर। जिला मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा गांव मिण्डला खेड़ा जो संकुल केन्द्र बालागुड़ा विकासखंड मल्हारगढ़ के अंतर्गत आता है, 2013 से पूर्व इस विद्यालय की स्थिति अन्य सरकारी स्कूलों की तरह ही थीं। विद्यार्थी आम सरकारी स्कूलों की तरह मात्र गिनती पहाड़े तक ही सीमित थे।

ऐसे हुआ बदलाव!

अपने कार्य के प्रति लगन और निष्ठा रखने वाले शिक्षक मोहम्मद उमर शेख 5 सितम्बर 2013 को यहां पदस्थ हुए। वे यहां के बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्प अपने कार्य में जुट गए। इसके लिए उन्होंने सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया और पूरी तरह अपने आप को विद्यालय और विद्यार्थियों के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने बच्चों से मधुर संबंध बनाए और बच्चों को उनके व्यवहार में नई आशा की किरण दिखाई दी। क्योंकि वे बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ते, बल्कि उन्होंने विभिन्न रोचक गतिवधियों को भी पढ़ाई का हिस्सा बना यिला था। इनमें चित्रकला, कहानी, कविता, संवाद आदि प्रमुख है। इन गतिविधियों से बच्चों की स्कूल के प्रति रूचि बढ़ी और वे नियमित स्कूल जारे लगे। इन गतिवधियों का असर यह हुआ है कि बच्चो की पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ी और बच्चों को अपना पाठ्यक्रम भी अच्छी तरह समझ में आने लगा। यहां का स्कूल भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और यहां बच्चे अंग्रेजी में बोल पाते हैं। सबसे बड़ी उपलब्ध यह है कि एक छोटे से गांव में जहां कभी पालकों को भी अंग्रेजी बोलना समझ में नही आया, वहां उनके बच्चे आपस में अंग्रेजी में बात करते है।

कोरोनाकाल में भी जुड़े रहे

शिक्षक मोहम्मद उमर शेख कोरोना काल में भी पालकों और बच्चों से लगातार सम्पर्क करते रहे। उन्होंने घर-घर जाकर बच्चों की कक्षा लगाई, मोहल्ला क्लास ली, यहां तक कि खेतों में जाकर भी बच्चों को पढ़ाया। साथ ही बच्चों की पढ़ाई सतत जारी रखने के लिए पालकों को भी प्रोत्साहित किया।

सामाजिक संस्थाओं का सहयोग

शिक्षक श्री शेख ने जैन सोशल ग्रुप, चाईल्ड हेल्प लाईन, महावीर पुस्तकालय, महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बीएसडब्ल्यू से भी स्कूल को बेहतर बनाने में सहयोग लिया। इन संस्थाओं द्वारा इस विद्यालय का भ्रमण यहां के शिक्षक श्री मोहम्मद उमर शेख का सम्मान लिया गया और बच्चों को भी प्रोत्साहित किया गयां मिण्डला खेड़ा का यह स्कूल हमें इस बात का संदेश देता है कि जब एक शिक्षक अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत से स्कूल की पहचान बदल सकता है तो यदि अन्य शिक्षक भी इस राह को अपनाए तो बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। मिण्डला खेडा का यह स्कूल हम सभी के लिए अनुकरणीय उदाहरण है।

पैरवी और संवाद

आवास और पानी के लिए महिलाओं ने उठाई आवाज

खंडवा। लाकडाउन के बाद जिला स्तर पर जनसुनवाई की प्रक्रिया रूक गई थी, जो अब शुरू हो रही है। इसी कड़ी में जनसुनवाई में महिलाओं की भागीदारी दिखाई दी। पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। खास बात यह थीं कि ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं ने आवास और पानी की मांग को लेकर पैरवी की।

ग्राम बेड़ियांव से जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत को लेकर कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर अशोक जाधम को आवेदन सौंपा। आवेदन में महिलाओं ने बताया कि गांव में कई पात्र हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बार-बार आवेदन देने के बाद भी पंचायत द्वारा किसी तरह की सुनवाई नहीं की जा रही है। इसी तरह गांव में विधवा पेंशन, राशन वितरण सहित अन्य स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शौचालय निर्माण तक का लाभ कई ग्रामीणों को नहीं दिया गया है। महिलाओं ने कहा गांव में पानी की भीषण समस्या है। गर्मी के दिनों में संकट और बढ़ जाता है। ऐसे में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कराई जाए।

जनसुनवाई में ग्राम रामपुरी से भी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। इन महिलाओं ने कहा कि गांव में अभी से जलसंकट की स्थिति बन गई है। नल-जल योजना दम तोड़ चुकी है। ट्यूबवेल भी बंद हैं। ऐसे में ग्रामीणों को खेतों से पानी लाना पड़ रहा है। मजदूरी छोड़कर दिनभर पानी भरने की व्यवस्था में लगे रहते हैं। जलसंकट की समस्या दूर होनी चाहिए।

लीक से हटकर पंचायत

बच्चों और मजदूरों के लिए विशेष काम करने वाली छत्तीसगढ़ की एक पंचायत

दुर्ग। ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्य आमतौर पर निर्माण पर केन्द्रित होते है और उन्हीं में पंचायत अपने बजट का उपयोग करती है। ऐसी पंचायतें देखने को नहीं मिलती, जो बच्चों को मजदूरों के प्रति संवेदनशील होकर उनके लिए बजट का उपयोग करें। किन्तु दुर्ग जिले की बोरई ग्राम पंचायत ने परंपरागत लकीर से अलग हटकर बच्चों और श्रमिकों की सुविधा के लिए अनूठे फैसले लेने की मिसाल कायम की है।

आंगनवाड़ी को कूलर उपलब्ध करवाए गए

सभी को पता है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी, ऐसे में बच्चें को आंगनवाड़ी में बैठना मुश्किल होता है। ऐसे में दुर्ग जनपद पंचायत की औद्योगिक ग्राम पंचायत बोरई के पंचायत प्रतिनिधियों ने पहल करते हुए मिसाल कायम की है। उन्होंने पंचायत फंड की राशि किसी गैर जरूरी या अन्य निर्माण कार्य में खर्च करने के बजाय इससे कूलर खरीदकर आंगनवाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करवाया गया।

यहां के सरपंच ने बताया कि गर्मी में बच्चों की परेशानी से महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ ही जिला प्रशासन को भी अवगत् कराया गया था। इसके साथ ही बच्चों को राहत हेतु कूलर की मांग की गई थीं। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो किसी ने बजट का हवाला देकर टाल दिया। इस पर पंचायत प्रतिनिधियों से सलाह लेकर ग्राम पंचायत की ओर से व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।

चार केन्द्र के 200 बच्चों को फायदा

इस ग्राम पंचायत में 4 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। यहां 200 से ज्यादा बच्चे नामांकित है। कूलर होने के कारण इन बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी के कारण आंगनवाड़ी में कम बच्चे उपस्थिति होते हैं। कूलर लगने से बच्चें की संख्या बढ़ेगी।

मनरेगा में मजदूरों के लिए शिक्षा की व्यवस्था

बोरई के पंचायत प्रतिनिधियों ने मनरेगा के मजदूरों को शिक्षा से जोड़ने के लिए भी अलग काम किया है। यहां शिक्षक काम खत्म होने के बाद काम वाली जगह पर ही खाली समय में मजदूरों की क्लास लगाते हैं। उल्लेखनीय है कि कई लोगों को अपने जीवन में कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। किन्तु यहां उनको पढ़ना—लिखना सीखने का अवसर मिल रहा है।

प्रकाशन समर्थन, भोपाल :

सम्पादक मंडल: पंकज पांडे, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, सादमा खान, नेहा छावड़ा, राहूल निगम, नारायण परमार, मनोहर गौर, विनोद चौधरी

पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713